



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4165]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 23, 2018/कार्तिक 1, 1940

No. 4165]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2018/KARTIKA 1, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5370(अ).**—केंद्रीय सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 34 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किए जाने वाले कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उक्त धारा के उपबंधों से सशस्त्र बल योद्धक कर्मियों के पदों की सभी श्रेणियों को छूट प्रदान करती है।

[फा.सं. 22-04/2014-डीडी-III(पार्ट)]

डौली चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2018

**S.O. 5370(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 20 and the second proviso to sub-section (1) of section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government having regard to the type of work carried on, hereby exempt all categories of posts of combatant personnel of Armed Forces from the provisions of the said sections.

[F. No. 22-04/2014-DD-III (Pt)]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.